उपरोक्तानुसार दर्शित किश्तें नियमबद्ध देय तिथि तक जमा करने की व्यवस्था करें, अन्यथा उपरोक्तानुसार निर्धारित ब्याज विलम्ब की स्थिति में अलग से जमा करना होगा ।

22.7.94

। श्याम सिंह यादव ।
विशेषाधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधि

पत्रांक: 532 अलाक/94 दिनांक: 29-7-94

श्री हरीश कुमार द्वारा श्री मुकेश कुक्कर,
ई-101 राधा कुन्ज,
प्रिज विहार,
गाजियाबाद ।

विषय: भूखण्ड सं0 सी0-202 सूर्यनगर सै0-7 टी0एच0ए0 का आवंटन पत्र/भुगतान विवरण ।

आपके पत्र दिनांक 13-6-94 के सन्दर्भ में सै0-7 टी0एच0ए0 सूर्यनगर गाजियाबाद में भूखण्ड सं0- सी-202 का आवंटन निम्नवत भुगतान विवरण एवं शर्तों के अधीन किया जाता है ।

1- उक्त भूखण्ड का मूल्य प्रथम किश्त रू0 3,34,460.00 है जिसका 20% अंकन रू0 66,892.00 प्रथम किश्त इस पत्र की दिनांक से एक माह के अन्दर जमा की जानी है किसी भी किश्त के विलम्ब की दशा में 21% ब्याज सहित किश्त देय धन राशि जमा करनी होगी ।

2- तीन किश्तें लगातार जमा न करने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जासकता है । पटटा विलेख भूखण्ड का समस्त मूल्य जमा करने के उपरान्त निष्पादित तुरन्त कराया जाना आवश्यक है ।

भुगतान विवरण :-

किश्त सं0	राशि	18% सम्मलित	किश्त
द्वतीय	17838.00	24081.00	41919.00
तृतीय	17838.00	22476.00	40314.00
चतुर्थ	17838.00	20876.00	38708.00
पांचवी	17838.00	19265.00	37103.00
छठी	17838.00	17659.00	35497.00
सातवीं	17838.00	16054.00	33892.00
आठवीं	17838.00	14449.00	32287.00
नवीं	17838.00	12843.00	30681.00
दसवीं	17838.00	11238.00	29076.00
ग्यारहवीं	17838.00	9632.00	27470.00
बारहवीं	17838.00	8027.00	25865.00
तेरहवीं	17838.00	6422.00	24260.00
चौदहवीं	17838.00	4816.00	22654.00
पन्द्रहवीं	17838.00	3211.00	21049.00
सोलहवीं	17836.00	1605.00	19441.00

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रेषक :-

विशेषाधिकारी

गाजियाबाद

विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

संख्या 640 भू०अनु०/94

सेवा में,

श्री हरीश कुमारपुत्र श्री आर०बी०भास्कर

ई- राधा कुंज ब्रिज विहार

गाजियाबाद ।

दिनांक 28-6-94

विषय :- भूखण्ड सं0 सी- 202 सूर्यनगर के आवंटन के सम्बन्ध में ।

आपके पत्र दिनांक 13-6-94 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके पक्ष में भूखण्ड सं0 सी-202 सूर्यनगर का आरक्षण उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 15-6-94 के अनुसार कर दिया गया है जिसका वर्तमान अनुमानित मूल्य अंकन रू0 3,34,460.00 है ।

28/6/94

। श्याम सिंह यादव ।
विशेषाधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रेषक :- संयुक्त सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद संख्या 1160/भूखण्ड अनुभाग/85	सेवा में, श्री हरीश कुमार पुत्र श्री आर० बी० [illegible] बी-101 सूर्य विहार गाजियाबाद दिनांक 31/[illegible]/5/1985

विषय : कौशाम्बी आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि आपको आदेशानुसार पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं० C-202 सूर्यनगर के परिवर्तन में कौशाम्बी आवासीय योजना में भूखण्ड सं० B-80 क्षेत्रफल लगभग 250.84 वर्गमीटर वर्तमान सैक्टर दर पर वर्तमान नियमों के अन्तर्गत आवंटन किया जाता है, जिसका डिमान्ड [illegible] शीघ्र जारी किया जायेगा।

भवदीय

(डा० [illegible])

संयुक्त सचिव

प्रेषक,

हरीश कुमार,
पुत्र श्री आर.बी. भास्कर,
ई-101, ब्रज बिहार,
जिला-गाजियाबाद ।

सेवा में,

श्री आर.पी. त्यागी,
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद ।

महोदय,

मुझे सूर्यनगर कालोनी, गाजियाबाद में एक प्लाट सं0 सी-202 आवंटित किया गया था। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मुझे प्लाट दिखाया गया था और कागजी कब्जे पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिये थे जबकि मुझे वास्तव में कोई भौतिक कब्जा नहीं दिया गया और न ही अड़ोस-पड़ोस के लोगों के समक्ष मुझे कब्जा दिया गया। जब मैं प्लाट पर गया तो वहाँ मोहल्ले के अनेक लोग आ गये और उन्होंने कहा कि यह प्लाट किसी अन्य को आवंटित है और यह प्लाट विवादित है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारियों को अवगत करा दिया था। जब बाउण्ड्रीवाल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की देख-रेख में बनायी जा रही थी, कुछ अवांछनीय तत्वों एवं गुण्डों ने आकर बाउण्ड्रीवाल गिरा दी और मजदूरों से मारपीट भी की थी। इस प्रकार यह प्लाट पूर्ण रूप से विवादित है और इस प्लाट पर मेरे जान-माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है, अतः इस विवादित प्लाट को मैं लेने में असमर्थ हूँ। प्राधिकरण से बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन प्राधिकरण ने कोई सुनवाई नहीं की। यह भी अनुरोध किया गया था कि इस प्लाट के स्थान पर मुझे सूर्यनगर, चन्द्र नगर में कोई अन्य प्लाट आवंटित किया जाय तो मुझे स्वीकार होगा बशर्ते कि प्लाट विवादित न हो, अतः आपसे अनुरोध है कि इस विवादित प्लाट के स्थान पर मुझे सूर्यनगर या उसके आस-पास किसी अन्य प्रतिष्ठित कालोनी में कोई अन्य प्लाट आवंटित करने का कष्ट करें। यदि प्लाट 200 व 300 वर्गमीटर का हो तो भी मैं प्लाट लेने को तैयार हूँ।

कृपया प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे मुझे आवंटित किये जाने वाले प्लाट का भौतिक निरीक्षण कराने का कष्ट करें तदोपरान्त मेरी सहमति के पश्चात् आवंटन की कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय
H Bhaskar
(हरीश कुमार)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

अधिकार परिवर्तन प्रपत्र

Letter No - 633/वि०प्रा०/95
DA. 4/10/95

योजना का नाम Kaushambi Scheme

प्लाट संख्या	प्लाट की नाप	क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर	विशेष विवरण
B-80	उत्तर 22.86 M दक्षिण 22.86 M पूरब 10.97 M पश्चिम 10.97 M	250.77 Sqm	

मैंने उपरोक्त प्लाट का अधिकार आज दिनांक 16/10/95 को 3.0 P.M. बजे मध्यान्ह पूर्व/पश्चात प्राप्त कर लिया हैं। प्लाट की पूर्ण पटटे में दर्शायी गई / नाप मेरे सामने की गई हैं। जिससे मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूं।

अधिकार दिया गया

[signature] 16/10/95

(अधिकार प्रदान कर्त्ता के हस्ताक्षर)

तथा पद J.E.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से

दिनांक 16/10/95

अधिकार प्राप्त किया

[signature] Bhaskar

(अधिकार प्राप्त कर्त्ता के हस्ताक्षर)

नाम

नाम Sri Harish Kumar
S/o Sri R.B. Bhaskar

पता E-101, Brij Vihar
GHAZIABAD

दिनांक

मेरे समक्ष अधिकार प्राप्त किया [signature]

गवाह Sri V.B. Singh Dupty director, Nagar Nigam, GHAZIABAD.

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता/संयुक्त सचिव प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

दिनांक .... अवर अभियन्ता।

सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

प्रेषक :
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

सेवा में,

श्री/श्रीमती हरीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार
ई-101 सूर्य विहार
गाजियाबाद

पत्रांक : 633 /वि० प्रा० गा०/भूखण्ड 1995 दिनांक 4/5/95
विषय : प्लाट संख्या B-80 स्थित कौशाम्बी

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्लाट की निशानदेही/माप/हेतु दिनांक 25-5-95 अपराह्न नियत की गई है । कृपया आप ~~अपने साथ लीज डीड, साइट प्लान तथा अन्य सम्बन्धित कागजात लेकर~~ सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सांयकाल ३ से ५ बजे के बीच सम्पर्क स्थापित कर समय आदि निश्चित कर ले । इस भूखन्ड का क्षेत्रफल [illegible] .84 वर्ग ~~गज~~/मीटर है ।

भवदीय

संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन सं० /वि० प्रा० गा०/ 1995 दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया प्लाट की निशान देही के बाद आवश्यक मीमो भूखन्ड अनुभाग को रिकार्ड हेतु भिजवाने का कष्ट करे ।

संयुक्त सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

अधिकार परिवर्तन प्रपत्र

योजना का नाम Surya Nagar Ghaziabad

प्लाट संख्या	प्लाट की नाप	क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर	विशेष विवरण
C/202	उत्तर 30' दक्षिण 30' पूरब 60' पश्चिम 60'	167.23 Sq.Mt	

मैंने उपरोक्त प्लाट का अधिकार आज दिनांक 8-4-95 को 10.00 AM बजे मध्यान्ह पूर्व/~~पश्चात~~ प्राप्त कर लिया है। प्लाट की पूर्ण पट्टे में दर्शायी गई / नाप मेरे सामने की गई है। जिससे मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।

अधिकार दिया गया [signature]

(अधिकार प्रदान कर्ता के हस्ताक्षर)

अधिकार प्राप्त किया [signature]

(अधिकार प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर)

तथा पद J.E.

नाम हरिश कुमार

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से

नाम Harish Kumar

दिनांक 8-4-95

पता E-101, Radha Kunj

दिनांक Brij Vihar, GZB.

[signature]

मेरे समक्ष अधिकार प्राप्त किया MUKESH PUSHKAR

गवाह as above

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता/संयुक्त सचिव प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

दिनांक .... अवर अभियन्ता।

सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।